न्यायालय प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अयोध्या।
उपस्थितः–सुरेन्द्र मोहन सहाय, ...एच.जे.एस.
जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या–548/2026
Computer Registration No.1138/2026
CNR No. UPFZ010033552026

संगीता उर्फ रानी पत्नी रिंकू निवासी सुफियान थाना कोतवाली रूदौली, जिला अयोध्या। .....आवेदिका/अभियुक्ता।

बनाम

उ०प्र०राज्य .....विपक्षी।

जमानत आदेश

1. आवेदिका/अभियुक्ता **संगीता उर्फ रानी** द्वारा उक्त जमानत आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस, मुकदमा अपराध संख्या 621/2025, धारा 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2), 61(2) बी०एन०एस०, थाना कोतवाली नगर, जनपद अयोध्या के प्रकरण में प्रस्तुत किया गया।

2. जमानत आवेदन पत्र में कहा गया है कि यह उसका प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई दूसरा जमानत का प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय अथवा अन्य किसी भी न्यायालय में न तो दिया गया है, न निर्णीत हुआ है और न ही विचाराधीन है।

3. संक्षेप में अभियोजन के अनुसार वादी अरूण कुमार का यह कथन है कि वादी की माता श्रीमती मुठ्ठरा देवी भूमि गाटा संख्या 333 रकबा 0.2490 हे० स्थित ग्राम हैबतपुर तहसील सदर, जनपद अयोध्या की संक्रमणीय भूमिधर थीं, जो उनके नाम वादी के पिता ने बैनामा लिया था। श्रीमती मुठ्ठरा देवी का निधन दिनांक 06.12.2008 को हो गया था। उक्त गाटा पर जरिए वरासत विधिक वारिस होने के नाते वादी व उसके भाईयों का नाम दर्ज हुआ। विपक्षीगण/अभियुक्तगण ने श्रीमती मुठ्ठरा देवी का कूटरचित जाली मृत्यु प्रमाण पत्र 16.11.2011 को तैयार करके व विपक्षी सं 3 व 4 (सतीश कुमार व युवराज सिंह) का झूठा बयान करवा कर विपक्षी सं 1 (रानी देवी) ने वादी व उसके भाईयों का नाम कटवा कर उसकी माता मुठ्ठरा देवी के गाटा संख्या 333 अपने नाम धोखे के करवा लिया। अदालत में दिये बयान में व शपथ पत्र में रानी देवी ने अपने को झूठे ढंग से मुठ्ठरा देवी की पुत्री होना बताया है। विपक्षीगण/अभियुक्त ने स्व० मुठ्ठरा देवी के कूटरचित मृत्यु प्रमाण पत्र व अन्य अभिलेखों को सही साबित करने के लिए झूठा बयान व शपथ पत्र देकर वादी की भूमि हड़पने की धोखाधड़ी की है। अभियुक्ता/विपक्षी रानी देवी व उसके पति रवीन्द्र कुमार ने मुठ्ठरा देवी की मृत्यु दिनांक 16.12.2008 के बाद स्व० मुठ्ठरा देवी के स्थान पर दूसरी महिला का फोटो लगा कर सब रजिस्ट्रार कार्यालय, लखनऊ में एक मुख्तारनामा दिनांक 24.06.2011 को निष्पादित कराया और मुकदमें में दाखिल किया है जो स्व० मुठ्ठरा देवी की मृत्यु के लगभग ढाई वर्ष बाद उनके नाम से बनाया है।

4. आवेदिका की ओर से तर्क किया गया है कि वह निर्दोष है, फर्जी तथ्यों के आधार पर फंसाया गया है। उसके द्वारा किसी प्रकार से आधार एडिट नहीं किया गया है, न ही किसी प्रकार का बयान ही दिया है। सतीश कुमार दूबे आवेदिका को अपने ही क्षेत्र के संतोष कुमार श्रीवास्तव के द्वारा आवेदिका को स्वास्थ्य विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर 3 लाख रूपये लिये थे और नौकरी दिलाने के लिए लखनऊ व तहसील में संबंध प्रमाण पत्र बनवाने के नाम पर लेकर जाते थे और कई जगह हस्ताक्षर बनवाये थे। आवेदिका को इस बाद की जानकारी पुलिस के आने के बाद हुई है। उसके द्वारा किसी

Digitally signed by Surendra Mohan Sahay
Date: 2026.06.30 16:45:21 NPT
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

प्रकार से न तो प्रपत्रों में छेड़ खानी की गयी है और न ही कोई छेड़ छाड़ है। आवेदिका की ख्याति को अपहानि पहुँचाने के आशय से विधिक राय से मुकदमा लिखाया गया है। जो भी आवेदिका का हस्ताक्षर या नाम का उपयोग तथा प्रपत्रों में छेड़छाड़ की गयी है, वह संतोष कुमार श्रीवास्तव द्वारा की गयी है। आवेदिका का मात्र हस्ताक्षर कराया गया है, वह भी आवेदिका अपनी नौकरी समझकर प्रपत्रों पर अपना हस्ताक्षर बनाया है। आवेदिका जमानत में विहित प्राविधानों का लाभ प्राप्त करने की अधिकारिणी हैं। जमानत की याचना की गई है।

5. विद्वान ए०डी०जी०सी०क्रिमिनल ने जमानत आवेदन पत्र का प्रबल विरोध करते हुए कथन किया गया है कि आवेदिका/अभियुक्ता ने श्रीमती मुठुरा देवी जो कि वादी की माता है, का फर्जी एवं कूटरचित मृत्यु प्रमाण पत्र बनाकर सह अभियुक्तों के साथ मिलकर जमीन हड़पने के उद्देश्य से फर्जी मुख्तारनामा निष्पादित कराया है। प्रकरण गंभीर है। जमानत आवेदन पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गई है।

6. सुना एवं अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया। आवेदिका पर अन्य सह अभियुक्तों के साथ मिलकर षडयंत्र रचकर नायब तहसीलदार सदर अयोध्या के न्यायालय में फर्जी अभिलेख तैयार कर उनके असली के रूप में प्रयोग करते हुए अपने आप को रानी देवी बनकर शपथ पत्र व फर्जी कूटरचित मुख्तारनामा एवं मृतका मुठुरा देवी का फर्जी व कूटरचित मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर वाजदायरा प्रार्थना पत्र देकर वादी व उसके भाईयों के नाम की जमीन को अपने नाम जमीन का बैनामा कराने का आरोप है। पत्रावली पर मुठुरा देवी का मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति, परिवार रजिस्टर की नकल, एक अन्य मृत्यु प्रमाण पत्र जिसमें मुठुरा देवी मृत्यु की तिथि दिनांक 16.11.2011 अंकित है, की छायाप्रति प्रस्तुत किये गये हैं। छायाप्रति रानी देवी का बयान, छायाप्रति मुख्तारनामा दिनांकित 24.06.2011, छायाप्रति नायब तहसीलदार अयोध्या, सदर अयोध्या द्वारा पारित आदेश प्रस्तुत किये गये हैं। आवेदिका द्वारा कारित अपराध गंभीर है। आरोप सात वर्ष से अधिक दण्ड से दण्डनीय हैं। ऐसी स्थिति में प्रकरण में बिना गुण–दोष पर जाये आवेदिका का जमानत आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है।

<u>आदेश</u>

आवेदिका/अभियुक्ता **संगीता उर्फ रानी** द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 621/2025, धारा 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2), 61(2) बी०एन०एस०, थाना कोतवाली नगर, जनपद अयोध्या के प्रकरण में प्रस्तुत यह जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनॉकः30.06.2026

(सुरेन्द्र मोहन सहाय)
J.O.Code–U.P6117
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
अयोध्या